राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(56)वित्त–1(1)आ.व्य/2022 दिनांक: 22.07.2025

परिपत्र

राज्य सरकार के बजट एवं वित्तीय प्रबन्धन को पारदर्शी, सुदृढ़ व उपादेय बनाये जाने हेतु सिस्टम आधारित व्यवस्था के तहत वर्तमान में BFC Estimation, Budget Prepration, Budget Volumes, Modified BFC Estimation, Modified Budget Prepration आदि प्रक्रियाऐं IFMS 3.0 पर संचालित हो रही हैं। इसी की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 25.07.2025 से बजट प्रबन्धन के सभी मॉड्यूल्स का संचालन IFMS 3.0 पर किया जायेगा। IFMS 3.0 के सुगम संचालन हेतु सभी विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए दिनांक 07.07.2025 एवं 08.07.2025 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बजट प्रबन्धन की प्रक्रियाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इसी क्रम में IFMS 3.0 के अन्तर्गत बजट प्रबन्धन की प्रक्रियाओं के सुगम संचालन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है –

1. Single Sign On (SSO) पर IFMS 3.0 पर कार्य करने हेतु विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रणअधिकारी/प्रशासनिक विभाग/वित्त (व्यय/बजट) विभाग द्वारा Maker, Checker, Approver का निर्धारण किया जायेगा।

2. बजट प्रबन्धन के अन्तर्गत मॉड्यूल्स के संचालन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

2.1 **PD Fund Transfer Process** - पी.डी. खाते में राशि हस्तान्तरण के लिए विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन(Budget Management) के अन्तर्गत PD Fund Transfer Process में Request ID जनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग की सहमति के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा पी.डी. खाते में राशि हस्तान्तरण के लिए Sanction Generate की जायेगी। यह

Sanction प्रशासनिक विभाग द्वारा e-sign करने के पश्चात वित्त (बजट) विभाग में स्वतः ही दर्शित होने लगेगी। वित्त (बजट) विभाग की स्वीकृति जारी होने के पश्चात कोष कार्यालय द्वारा अथवा BT Automation Process से सम्बन्धित पीडी खाते में राशि हस्तान्तरित हो जायेगी

2.2 **Additional Authorization Process-** अतिरिक्त बजट प्रावधान के लिए विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन (Budget Management) के अन्तर्गत Additional Authorization Process में Request ID जनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग द्वारा अपनी सहमति के साथ उक्त आई.डी. को वित्त (बजट) विभाग अग्रेषित की जायेगी। वित्त (बजट) विभाग द्वारा ID को Approved करते ही सम्बन्धित बजट मद के पूल बजट में राशि उपलब्ध हो जायेगी।

2.3 **Re-appropriation Process -** किसी बजट शीर्ष में स्वीकृत बजट प्रावधानों के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर यथासम्भव अनुदान मांग में अन्य शीर्ष/शीर्षो में उपलब्ध बचत में से पुनर्विनियोजन के माध्यम से ही बजट राशि प्राप्त की जा सकती है। विभाग प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर से वांछित अनुमोदन उपरान्त पुनर्विनियोजन स्वयं के स्तर पर ही किया जाना सुनिश्चित करें। विभाग की सक्षमता में होने पर प्रकरण वित्त विभाग को अग्रेषित नहीं होंगे। विभाग की सक्षमता नहीं होने की स्थिति में ही पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव वित्त विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे। पुनर्विनियोजन के लिए App Dashboard पर बजट प्रबन्धन (Budget Management) के अन्तर्गत Re-appropriation Process में Request ID जनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग द्वारा अपनी सहमति के साथ उक्त आई.डी. को वित्त (बजट) विभाग अग्रेषित की जायेगी। वित्त (बजट) विभाग द्वारा ID को Approved करते ही सम्बन्धित बजट मद के पूल बजट में राशि उपलब्ध हो जायेगी।

2.4 **Sanction Release under SNA Sparsh** - एस.एन.ए. स्पर्श के अन्तर्गत राशि रिलीज के लिए विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन

(Budget Management) के अन्तर्गत SNA Release Sanction Process में Request IDजनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग की सहमति के पश्चात SNA SPARSH के तहत रिलीज के लिए राशि उपलब्ध होगी एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अन्तर्गत राशि हस्तान्तरण के लिए Sanction Generate की जायेगी।

2.5 **Post Sanction Process** -पदों की स्वीकृति के लिए विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन (Budget Management) के अन्तर्गत Post Sanction Process में Request ID जनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग द्वारा सहमति दिये जाने के साथ ही स्वीकृत पद मास्टर डाटा में दर्शित होने लगेंगे। पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

2.6 **Computer/Phone/Vehicle Sanction Process** - कम्प्यूटर/टेलीफोन/वाहन की स्वीकृति के लिए विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन (Budget Management) के अन्तर्गत सम्बन्धित Sanction Process में Request ID जनरेट कर आवश्यक दस्तावेज़ Upload कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी। वित्त (व्यय) विभाग द्वारा सहमति दिये जाने के साथ ही स्वीकृत पद मास्टर डाटा में दर्शित होने लगेंगे।

2.7 **PD Account Opening Process** - विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा App Dashboard पर बजट प्रबन्धन (Budget Management) के अन्तर्गत स्वायत्तशाषी संस्था/विभागों के पी.डी. खाते खोलने की Request ID जनरेट करने के लिए पी.डी. खाते के संचालन के उद्देश्य, पी.डी. खाते का प्रकार (Interest bearing/Non Interest bearing/Unified) का विवरण प्रस्तुत करने के साथ संचालन कर्ता/कर्तो के नाम व पद, कोषालय का नाम तथा अन्य विवरण प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। उक्त Request ID को वित्त (मार्गोपाय) विभाग को अग्रेषित की जायेगी।वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा पी.डी. खाता

खोलने की स्वीकृति जारी की जायेगी जिसके आधार पर सम्बन्धित कोष कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति जारी की जायेगी।

3.सम्बन्धित Process का यूजर मैन्युअल (User Manual) ifms.rajasthan.gov.in पर सम्बन्धित Process की Task List में उपलब्ध रहेगा।

4 Sanction Request Status सम्बन्धित Process की Task List पर उपलब्ध रहेगा।

किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग, सचिवालय में स्थित हैल्पडेस्क (0141–2924501) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. शासन सचिव, वित्त (व्यय/राजस्व) विभाग
3. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान सरकार
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (1/2/3/4/5) विभाग
5. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को सिस्टम में आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु
6. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को प्रेषित कर अनुरोध है कि बजट प्रबन्धन के उपर्युक्त समस्त Process को go live किये जाने हेतु सिस्टम में आवश्यक प्रावधान करावें।
7. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु

(श्रीकृष्ण शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बजट)

[05/2025]